वेलिंगकर के फैसले को लेकर संघ बंटा

पणजी, 2 सितंबर (भाषा)। गोवा में आरएसएस अपने बर्खास्त नेता सुभाष वेलिंगकर और उनके समर्थकों के संघ के गोवा प्रांत के तौर पर एक समांतर संगठन का गठन करने और मूल संगठन से अलग काम करने के फैसले को लेकर विभाजित है।

गोवा में आरएसएस के वरिष्ठ नेता डी भीकाजी नाइक ने शुक्रवार को कहा कि मैं अब भी आरएसएस नागपुर मुख्यालय से जुड़ा हूं। आप इस तरह एक अलग आरएसएस प्रांत नहीं बना सकते। मैं ऐसा करने वाले समूह के साथ नहीं हूं। जहां कुछ पदाधिकारियों सहित आरएसएस कार्यकर्ताओं और समर्थकों की एक बड़ी संख्या वेलिंगकर के साथ है, वहीं बहुत सारे स्वयंसेवक संघ से रिश्ता तोड़ने के खिलाफ हैं। नाइक ने कहा कि वह अपनी व्यक्तिगत क्षमता में भारतीय भाषा सुरक्षा मंच (बीभाएसएम) की मांगों का समर्थन करते रहे हैं। वेलिंगकर ने निर्देश के माध्यम के तौर पर क्षेत्रीय भाषा की प्रधानता की खातिर अभियान चलाने के लिए बीबीएसएम का गठन किया था। उन्होंने राज्य की भाजपा सरकार को निशाने पर लिया हुआ है। नाइक ने गोवा में मार्च 2017 में होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले बीबीएसएम के राजनीतिक दल के गठन की घोषणा की तरफ इशारा करते हुए कहा कि मुझे नहीं पता कि बीबीएसएम भविष्य में क्या करेगा। वेलिंगकर ने बीबीएसएम के नेताओं के साथ आगामी चुनाव में भाजपा से लड़ने के लिए एक राजनीतिक दल के गठन की घोषणा की थी, जिसके बाद उन्हें आरएसएस ने गोवा विभाग संघ चालक के पद से मुक्त कर दिया। आरएसएस के एक और वरिष्ठ नेता रत्नाकर लेले ने भी इस नए घटनाक्रम से खुद को दूर करने की कोशिश की। 80 फीसद स्वयंसेवक नए प्रांत में शामिल नहीं होंगे। वेलिंगकर ने गुरुवार को कहा था कि तटीय राज्य में संघ की शाखा कम से कम विधानसभा चुनाव तक मूल संगठन से अलग काम करेगी। आरएसएस ने उनके दावों को खारिज करते हुए कहा कि उसकी कोई भी शाखा संगठन से खुद को अलग नहीं कर सकती और राज्य के लिए नए पदाधिकारियों की जल्द ही घोषणा की जाएगी।

इसी बीच गोवा के मुख्यमंत्री लक्ष्मीकांत पारसेकर ने वेलिंगकर के उस आरोप पर टिप्पणी करने से इनकार कर दिया, जिसमें उन्होंने अपने खिलाफ कार्रवाई के पीछे केंद्रीय मंत्री मनोहर परीकर और नितिन गडकरी का हाथ होने की बात कही थी।

शिवसेना ने वेलिंगकर का समर्थन किया

मुंबई, 2 सितंबर (भाषा)। गोवा की आरएसएस इकाई के बर्खास्त प्रमुख सुभाष वेलिंगकर का शिवसेना ने समर्थन किया है। उन्होंने यह मांग कर कोई अपराध नहीं किया है कि गोवा के स्कूलों में क्षेत्रीय भाषाओं को बढ़ावा दिया जाए। शिवसेना ने मुखपत्र सामना के संपादकीय में कहा कि भाजपा सरकार इस चुनावी वादे पर गोवा में सत्ता में आई कि वह क्षेत्रीय भाषाओं को बढ़ावा देगी, लेकिन अब खुद को इससे दूर कर लिया है।

राज्यों में पुलिसकर्मियों के खिलाफ मामलों में मध्य प्रदेश अव्वल

मप्र में 10089 व केंद्र शासित दिल्ली में 12913 मामले : रिपोर्ट

भोपाल, 2 सितंबर (भाषा)। राष्ट्रीय अपराध रेकॉर्ड ब्यूरो द्वारा जारी आंकड़ों के मुताबिक पुलिसकर्मियों के खिलाफ देश में सबसे अधिक 10,089 शिकायतें मध्य प्रदेश में दर्ज की गई हैं। इस हिसाब से प्रदेश में प्रतिदिन औसतन 27 शिकायतें पुलिसकर्मियों के खिलाफ दर्ज हुईं। केंद्र शासित प्रदेश में दिल्ली में सबसे अधिक 12,913 मामलों में पुलिसकर्मियों के खिलाफ शिकायत दर्ज की गई।

हाल ही में अशोक नगर जिले में पुलिस के एक आरक्षक के खिलाफ 17 वर्षीय बालिका के कथित अपहरण और दुष्कर्म करने का मामला दर्ज किया गया। एनसीआरबी के ताजा आंकड़ों के अनुसार मध्य प्रदेश पुलिस अपने सहकर्मियों के खिलाफ कार्रवाई करने में नरम दिखाई दी क्योंकि प्रदेश में पुलिसकर्मियों के खिलाफ दर्ज की गई कुल शिकायतों में से लगभग 6,189 शिकायतें प्रारंभिक जांच के बाद निराधार अथवा फर्जी पाई जाने के कारण खारिज कर दी गई। आंकड़ों के मुताबिक प्रदेश में कानून के रखवालों के खिलाफ सुस्त अभियोजन की कार्रवाई इससे भी जाहिर होती है कि पिछले साल प्रदेश में केवल 127 पुलिसकर्मियों के खिलाफ अदालत में आरोप पत्र पेश किया गया तथा 88 पुलिसकर्मियों को गिरफ्तार किया गया।

मध्य प्रदेश में पुलिसकर्मियों के खिलाफ शिकायतों के 2,473 मामलों में विभागीय जांच की गई, जबकि मात्र दो मामलों में न्यायिक जांच की गई तथा एक भी मामले में कानून के रखवालों के खिलाफ मजिस्ट्रेट जांच नहीं की गई। इसके विपरीत, दक्षिणी राज्य केरल पिछले साल पुलिसकर्मियों के खिलाफ प्राप्त शिकायतों पर सबसे अधिक कार्रवाई करने वाला राज्य रहा। वहां वर्ष 2015 में पुलिसकर्मियों के खिलाफ कुल 4,634 शिकायतें दर्ज की गईं । इनमें से केवल 599 शिकायतों को आधारहीन अथवा फर्जी होने के कारण खारिज किया गया। केरल में पुलिसकर्मियों के खिलाफ प्राप्त कुल शिकायतों में से 2,903 मामलों में विभागीय, 55 में न्यायिक और सात में मजिस्ट्रेट जांच कराई गई। मध्य प्रदेश पुलिस का कहना है कि वह पुलिसकर्मियों के खिलाफ प्राप्त शिकायतों पर तुरंत कार्रवाई करती है। मध्य प्रदेश के पुलिस महानिदेशक ऋषि कुमार शुक्ला ने कहा, 'शिकायत चाहे पुलिसकर्मी के खिलाफ हो या आम आदमी के खिलाफ, हम प्रत्येक शिकायत को स्वीकार करते हैं और साथ ही शिकायतों पर तुरंत कार्रवाई भी करते हैं।' मध्य प्रदेश पुलिस अपने कर्मियों के खिलाफ भी शिकायतों का स्वागत करती है। पुलिसकर्मियों के खिलाफ दर्ज शिकायतों के मामले में मध्यप्रदेश के बाद सूची में महाराष्ट्र का नंबर आता है, जहां पिछले वर्ष 8,004 पुलिसकर्मियों के खिलाफ शिकायतें दर्ज की गईं। वहीं, उत्तर प्रदेश इस सूची में 4,659 शिकायतों के साथ तीसरे नंबर पर रहा। रिपोर्ट के अनुसार बिहार राज्य में पुलिसकर्मियों के खिलाफ मात्र 97 शिकायतें गत वर्ष दर्ज की गईं।

पुलिस को विश्वसनीयता का संकट खत्म करना होगा : राजनाथ

हैदराबाद, 2 सितंबर (भाषा)। अपने कर्तव्यों में पुलिस अधिकारियों से 'न्यायसंगत' रहने की अपील करते हुए केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने शुक्रवार कहा कि उन्हें बल की विश्वसनीयता के संकट को खत्म करने के लिए काम करना चाहिए।

उन्होंने यहां सरदार वल्लभभाई पटेल नेशनल पुलिस एकेडमी के दौरे के दौरान भारतीय पुलिस सेवा (आइपीएस) के युवा अधिकारियों से बात करते हुए उनसे सहानुभूति के साथ काम करने को कहा। गृह मंत्री ने कहा, 'मैं अपने नेता मित्रों से भी कहता हूं कि राजनीति में विश्वसनीयता का संकट है। कथनी और करनी में अंतर है।' उन्होंने यहां एकेडमी में कहा, 'इसी तरह पुलिस भी लोगों के बीच काम करती है और यह संकट वहां भी दिखता है। इसे खत्म करना होगा। हमें इसे चुनौती के रूप में लेना होगा और सार्वजनिक सेवा जीवन में विश्वसनीयता के इस संकट को खत्म करना होगा।' तेलंगाना की राजधानी के दिन भर के दौरे के दौरान सिंह ने कहा कि पुलिस को कुछ सख्त कार्रवाई करनी होगी, साथ ही उसे हमेशा ही न्यायसंगत भी होना चाहिए। उन्होंने प्रोबेशनर आइपीएस अधिकारियों और सेना जैसी अन्य सेवाओं में मौजूद लोगों से खुद को साइबर अपराध जैसी भविष्य की चुनौतियों के लिए तैयार करने को कहा। उन्होंने कहा, 'मुझे हाल ही में एनसीआरबी की एक रिपोर्ट से बताया गया कि साइबर अपराध की घटनाएं पिछले दशक से 2400 गुना बढ़ी हैं। इस चुनौती से निपटने के लिए हमें तैयार होना होगा।'

मुरैना में अवैध हथियार बनाने की फैक्टरी पकड़ी गई

मुरैना, 2 सितंबर (जनसत्ता)। यहां की सिविल लाइंस थाना पुलिस ने अम्बाह रोड पर स्थित जीगनी गांव में अवैध हथियार बनाने की फैक्टरी पकड़ी है। पुलिस ने इस कारखाने में बनी छह बंदूकें, 315 बोर की एक बंदूक, 315 बोर के पांच कट्टे आदि बरामद किए हैं जिन्हें बाजार में बेचने की तैयारी थी। पुलिस अधीक्षक विनीत खन्ना के अनुसार उन्हें मुखबिरों से सूचना मिल रही थी कि राजस्थान से कुछ लोग चंबल पार करके मुरैना आते हैं और यहां के जीगंनी गांव में हथियार बनाने का काम करते हैं। लेकिन पकड़े गए अभियुक्त यह हथियार अपराधियों को बेचे जा रहे हैं। सिविल लाइंस थाना प्रभारी योगेन्द्र सिंह जादौन ने अम्बाह मुरैना रोड पर चैकिंग शुरू कराई। इस चैकिंग में एक मोटर साइकिल पर सवार दो लड़के कामता प्रसाद उर्फ बल्लो उम्र 21 साल निवासी जींगनी और रवि किरार उम्र 28 साल निवासी जीगनी पकड़ में आए, तलाशी के दौरान उनकी कमर में कट्टा बंधा हुआ मिला। उन्होंने पूछताछ में बताया कि ये कट्टे जींगनी के जण्डेल सिंह गुर्जर के घर बन रहे हैं। उनका काम बने बनाए कट्टे और बंदूकों को बेचना है। जण्डेल सिंह के घर से तो पुलिस ने पूरी फैक्ट्री ही बरामद कर ली।

गोवा में एलईडी के वितरण में घोटाले का आरोप

पणजी, 2 सितंबर (भाषा)। गोवा फॉरवर्ड पार्टी ने एसीबी में शिकायत दर्ज करा कर 'ज्योतिर्मय योजना' के तहत एलईडी बल्बों की वितरण में घोटाले का आरोप लगाया है। इस घोटाले में भाजपा के कार्यकर्ता और राज्य के बिजली महकमे के अधिकारियों के शामिल होने का भी आरोप लगाया गया है। बहरहाल, राज्य के ऊर्जा मंत्री ने आरोपों का खंडन किया है। गोवा फॉरवर्ड पार्टी के प्रवक्ता दुर्गा दास कामत ने गुरुवार को दायर की गई शिकायत में कहा है कि बांटे गए बल्बों की संख्या का कोई रिकॉर्ड नहीं रखा गया है। विभाग के अधिकारी दावा कर रहे हैं कि बल्ब स्टॉक में नहीं है जबकि लाखों उपभोक्ताओं को बल्ब अभी नहीं मिले हैं।गोवा सरकार ने पहले केंद्र की ज्योतिर्मय योजना को संशोधित किया और उपभोक्ताओं को तीन बल्ब निःशुल्क दिए।

चंद्रबाबू नायडू को राहत

हैदराबाद, 2 सितंबर (भाषा)। हैदराबाद हाई कोर्ट ने भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो (एसीबी) की एक विशेष अदालत के उस आदेश पर शुक्रवार रोक लगा दी, जिसमें एसीबी को वोट के लिए नोट कांड के सिलसिले में आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू के खिलाफ लगे आरोपों की जांच के आदेश दिए गए थे।न्यायमूर्ति राजा इलानगो ने एसीबी को जवाबी हलफनामा दाखिल करने का भी निर्देश दिया और मामले की अगली सुनवाई आठ हफ्ते बाद तय कर दी । चंद्रबाबू ने शुक्रवार हाई कोर्ट में एक याचिका दाखिल कर अदालत से अनुरोध किया था कि वह वोट के लिए नोट कांड के सिलसिले में वाईएसआर कांग्रेस पार्टी के विधायक अल्ला रामकृष्ण रेड्डी की ओर से उनके खिलाफ दर्ज कराई गई निजी शिकायत को रद्द करे। याचिका में रामकृष्ण रेड्डी ने आरोप लगाया था कि इस मामले में चंद्रबाबू भी साजिशकर्ता हैं और उन्होंने तेलंगाना के एक मनोनीत विधायक को रिश्वत की पेशकश का अपराध किया है। बीते 29 अगस्त को एसीबी अदालत ने जांच एजंसी से शिकायत में चंद्रबाबू के खिलाफ लगाए गए आरोपों की जांच करने को कहा था।

सार्वजनिक सूचना

एतद्द्वारा हम अपने सभी सब्सक्राइबर्स को यह सूचित करना चाहते हैं कि

चैनल:
वीआईपी न्यूज
(चैनल नं. 316)

1 अक्टूबर, 2016
से हमारे प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध नहीं होगा.

VIDEOCON d2h
Digital DTH Service

जारीकर्ता
वीडियोकॉन d2h लिमिटेड, मुंबई

दिनांक: 3 सितम्बर, 2016

RATHI INDUSTRIES LIMITED

Regd. Office : A-24/6, Mohan Co-Operative Indl. Estate, Mathura Road, New Delhi-110044.
CIN: L74899DL1991PLC046570
Ph.No.011-46569307,
E-mail Id: rathiindustriesltd@rediffmail.com
Website: www.rathistelmax.com

NOTICE

Notice is hereby given that the 24th Annual General Meeting of the Members of the Company will be held at A-24/6, Mohan Co-Operative Indl. Estate, Mathura Road, New Delhi-110044 on Friday, the 30th day of September, 2016 at 3.00 P.M. to discuss the matter set out in the notice which was sent to the members individually at their registered address. The register of members and the share transfer register of the company shall remain closed from 22.09.2016 to 30.09.2016 (both days inclusive).

By order of the Board
For Rathi Industries Ltd.
Sd/
Sangram Singh
Director

Place : New Delhi
Date : 31.08.2016

SRM ENERGY LIMITED

Regd. Office: Unit No. 206, 2nd Floor, Suneja Tower-2, Disctrict Centre, Janakpuri, New Delhi-110058
CIN: L17100DL1985PLC303047, Phone No.: +91-011-45067736,
Email: info@srmenergy.in, Website: www.srmenergy.in

NOTICE

Notice is hereby given that:-

The 29th Annual General Meeting (AGM) of the Company scheduled to be held on Thursday, the 29th September, 2016 at the Executive Club, Dolly Farms & Resorts, 439, Village Shahurpur, P.O, Fatehpur Beri, New Delhi- 110074 at 11:30 a.m. and Annual Report for financial year 2015-16 have been sent to all members of the Company at their registered address in the permitted mode and soft copies of same have also been sent in electronic mode to all members whose email IDs are registered with the Company/Depository participant(s). The Annual report for FY 2015-16 is also available and can be downloaded from website of the Company at www.srmenergy.in.

Pursuant to Regulation 42 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 and Section 91 of the Companies Act, 2013 along with the applicable Rules made there under, it is hereby intimated that the Register of Members and share transfer books of the Company will remain closed from Friday, September 23, 2016 to Thursday, September 29, 2016 (both days inclusive) for the purpose of Annual General Meeting.

Pursuant to the provisions of Section 108 of the Companies Act, 2013, Regulation 44 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 and Rule 20 of the Companies (Management and Administration) Rules, of the Companies Act, 2013, the Company has provided all its Members (holding shares both in physical and in electronic form) the facility to exercise their vote at the AGM by electronic voting (e-voting) through the services of Central Depository Services (India) Limited (CDSL). The cut-off date to record the entitlement of shareholders to cast their vote electronically at the AGM is 22nd September, 2016.

All the members are informed that (a) the Ordinary Businesses as set out in the Notice of 29th AGM may be transacted by electronic voting. (b) the physical dispatch of Annual Report 2015-16 alongwith its electronic transmission has been completed on 01st September, 2016, (c) the voting through electronic means shall commence on 9:00 A.M. on 26th September, 2016 (Monday) and ends on 5:00 P.M. on 28th September, 2016 (Wednesday). (d) voting through electronic means shall not be allowed beyond 5:00 P.M. on 28th September, 2016 (Wednesday). (e) the Notice of the 29th Annual General Meeting is available on the Company's website www.srmenergy.in and CDSL's website www.evotingindia.com and (f) for the process and manner of electronic voting, members may go through the instructions as contained in the Annual Report- 2015-16 or visit CDSL's website www.evotingindia.com.

In case any person become member after dispatch of notice and holding shares as on the cut-off date, may follow the same instructions as mentioned for e-Voting in the Annual Report. The facility for voting through physical mode shall be made available at the AGM and the members attending the meeting who have not cast their vote by e-voting shall be able to exercise their right at the meeting in physical mode. The members who have cast their votes by e-voting may attend the meeting but shall not be entitled to cast their vote again.

Mr. Ankush Agarwal, Practicing Company Secretary and Managing Partner of Forecore Professionals LLP has been appointed as Scrutinizer, for the ensuing AGM.

In case you have any queries or issues regarding e-voting, you may refer the Frequently Asked Questions ("FAQs") and e-voting manual available at www.evotingindia.com under "Help" section or write an email to helpdesk.evoting@cdslindia.com or members may also contact for any query or inconvenience or grievances if any, in voting through electronic mode to Ms. Kanika Arora, Company Secretary of the Company, having phone number 011-45067736.

By Order of the Board of Directors
For SRM Energy Limited
Sd/-
(Kanika Arora)
Company Secretary

Place: New Delhi
Date: 02.09.2016

शिवम ऑटोटेक लिमिटेड

Shivam Autotech Ltd.
सीआईएन: L34300DL2005PLC139163
पंजीकृत कार्यालय: 303, तीसरी मंजिल, स्क्वेयर-1, डिस्ट्रिक्ट सेंटर साकेत, नई दिल्ली–110017
फोन: +91 11 49242100 फैक्स: +91 11 49242116
ई–मेल: admn@shivamautotech.com
वेबसाइट: www.shivamautotech.com

11वीं वार्षिक साधारण बैठक, पुस्तक बंदी तथा ई–वोटिंग जानकारी की सूचना

एतद् द्वारा सूचित किया जाता है कि शिवम ऑटोटेक लिमिटेड की ग्यारहवीं वार्षिक आम बैठक (11वीं एजीएम) का आयोजन बृहस्पतिवार, 29 सितम्बर 2016 को टिवोली गार्डन रिजॉर्ट, छतरपुर मंदिर के समीप, छतरपुर रोड, नई दिल्ली–110030 में बैठक की सूचना में निहित व्यवसाय का सम्पादन करने हेतु किया जाएगा।

11वीं एजीएम की सूचना, जिसमें 11वीं एजीएम में निष्पादित किए जाने वाले साधारण एवं विशेष व्यवसाय(यों) का ब्यौरा है, के साथ वित्तीय वर्ष 2015–16 की वार्षिक रिपोर्ट सभी सदस्यों को, कम्पनी/डिपॉजिटरी सहभागी के साथ पंजीकृत ई–मेल पते पर तथा अन्य सभी सदस्यों को, व्यक्तिगत तौर पर, कम्पनी के साथ उनके पंजीकृत पते पर प्रेषित कर दिया गया है। सूचना एवं वार्षिक रिपोर्ट का भौतिक/ई–मेल प्रेषण 2 सितम्बर 2016 को पूरा कर लिया गया है। सदस्य सूचना एवं वार्षिक रिपोर्ट कम्पनी की वेबसाइट अर्थात् www.shivamautotech.com से डाउनलोड भी कर सकते हैं। सदस्य इसकी एक प्रति कम्पनी को admn@shivamautotech.com पर अथवा कम्पनी के पंजीकृत कार्यालय के पते पर लिखकर भी प्राप्त कर सकते हैं।

आगे, एतद् द्वारा सूचित किया जाता है कि कम्पनी अधिनियम, 2013 ('अधिनियम') की धारा 108 के साथ पठित कम्पनी (प्रबन्धन एवं संचालन) नियम, 2014, यथा संशोधित, के नियम 20 एवं सेबी (सूचीकरण दायित्व एवं प्रकटीकरण आवश्यकताएँ) विनियम, 2015 के विनियम 44 के अनुपालन में कम्पनी अपने सदस्यों को सेन्ट्रल डिपॉजिटरी सर्विसेज (इण्डिया) लिमिटेड (सीडीएसएल) के द्वारा प्रदान किए जाने वाले ई–वोटिंग प्लैटफॉर्म के माध्यम से बैठक स्थल से दूर रहकर 11वीं एजीएम की सूचना में निहित व्यवसायों पर इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से वोट (रिमोट ई–वोटिंग) करने की सुविधा प्रदान कर रही है।

एजीएम में मत–पत्र द्वारा वोटिंग की सुविधा भी उपलब्ध होगी एवं वह सदस्य जिन्होंने रिमोट ई–वोटिंग अथवा मत–पत्र के माध्यम से मतदान नहीं किया हो वे एजीएम में वोट कर सकते हैं।

रिमोट ई–वोटिंग अवधि सोमवार, 26 सितम्बर 2016 को प्रातः 9:00 बजे आरम्भ होगी तथा बुधवार, 28 सितम्बर 2016 को संध्या 5:00 बजे समाप्त होगी। सीडीएसएल द्वारा 28 सितम्बर 2016 को संध्या 5:00 बजे के पश्चात् रिमोट ई–वोटिंग मॉड्यूल निष्क्रीय कर दिया जाएगा।

रिमोट ई–वोटिंग के माध्यम से तथा बैठक में वोटिंग हेतु सदस्यों की योग्यता के निर्धारण के लिए कट–ऑफ तिथि बृहस्पतिवार, 29 सितम्बर 2016 है। यदि कोई सदस्य बैठक की सूचना के प्रेषण के पश्चात् कम्पनी का सदस्य बनता है एवं कट–ऑफ तिथि अर्थात् 31 अगस्त 2016 को शेयर धारक हो, वह helpdesk.evoting@cdslindia.com अथवा admn@shivamautotech.com पर एक आवेदन भेजकर यूजर आई डी एवं पासवर्ड प्राप्त कर सकता है।

वह सदस्य जिनकी पहुँच रिमोट ई–वोटिंग सेवा तक नहीं है वे एजीएम की सूचना में निहित प्रस्तावों के सम्बन्ध में सूचना के साथ संलग्न मत–पत्र के माध्यम से, जो कम्पनी की वेबसाइट www.shivamautotech.com पर भी उपलब्ध है, वोट कर सकते हैं। **वह सदस्य जो बैठक में उपस्थित होने एवं मतदान करने हेतु अधिकृत है उसे अपने बजाए उपस्थित होने एवं मतदान करने हेतु एक प्रॉक्सी नियुक्त करने का भी अधिकार है एवं प्रॉक्सी का सदस्य होना आवश्यक नहीं है। विधिवत क्रियान्वित प्रॉक्सी बैठक के निश्चित समय से कम–से–कम 48 घंटे पूर्व कम्पनी के साथ पंजीकृत हो जाने चाहिए।**

वे सदस्य जिन्होंने एजीएम से पूर्व ई–वोटिंग अथवा मत–पत्र के माध्यम से वोट कर दिया हो, वे एजीएम में उपस्थित हो सकते हैं परन्तु उन्हें पुनः वोट करने का अधिकार नहीं होगा। यदि सदस्य दोनों माध्यम से वोट करते है तो रिमोट ई–वोटिंग के माध्यम से किया गया वोट अभिभावी माना जाएगा एवं मत–पत्र के माध्यम से किया गया वोट अमान्य होगा।

इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से वोटिंग से संबंधित किसी प्रश्न अथवा मुद्दे के सम्बन्ध में कृपया www.evotingindia.com के हेल्प खण्ड में उपलब्ध Frequently Asked Questions ('FAQs') एवं रिमोट ई–वोटिंग पुस्तिका संदर्भित करें। रिमोट ई–वोटिंग से संबंधित किसी प्रश्न/शिकायत हेतु श्री राकेश दल्वी, उप–प्रबन्धक, सेन्ट्रल डिपॉज़िटरी सर्विसेज (इण्डिया) लिमिटेड, 16वीं मंजिल, फिरोज़ जीजीबॉय टावर्स, दलाल स्ट्रीट मुम्बई–400001 से अथवा टॉल फ्री नं. 1800–200–5533 पर सम्पर्क करें।

आगे यह भी सूचित किया जाता है कि कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 91 के साथ पठित कम्पनी (प्रबन्धन एवं संचालन) नियम, 2014, जैसा की विदित है, कम्पनी के सदस्यों का रजिस्टर तथा शेयर अंतरण पुस्तकें वार्षिक आम बैठक तथा 31 मार्च 2016 को समाप्त वर्ष हेतु अंतिम लाभांश की अदायगी के निर्धारण के उद्देश्य से बृहस्पतिवार, 22 सितम्बर 2016 से बृहस्पतिवार, 29 सितम्बर 2016 (दोनों दिवस सम्मिलित) तक बन्द रहेंगे। लाभांश की अदायगी, यदि बैठक में अनुमोदित किया जाता है, तो 4 अक्टूबर 2016 को अथवा उसके पश्चात् की जाएगी।

कम्पनी के निदेशक मंडल (मंडल) ने 13 अगस्त 2016 को आयोजित इसकी बैठक में श्री सतेन्दर कुमार (सदस्यता संख्या F4087), सतेन्दर कुमार एंड एसोसिएट्स, कम्पनी सेक्रेटरी को निष्पक्ष एवं पारदर्शी तौर पर मतदान प्रक्रिया (भौतिक तथा रिमोट ई–वोटिंग) के संचालन हेतु विधि के अनुसार संवीक्षक नियुक्त किया है।

कृते शिवम ऑटोटेक लिमिटेड
हस्ता./–
शिवानी कक्कड़
कम्पनी सचिव
सदस्यता संख्या A25097

दिनांक : 02 सितम्बर, 2016
स्थान : नई दिल्ली

बिक्री उद्घोषणा

कार्यालयः रिकवरी अधिकारी-I, ऋण वसूली अधिकरण-III, दिल्ली
4था तल, जीवनतारा भवन, पटेल चौक, संसद मार्ग, नई दिल्ली-110001

आर.सी. नं. 293/15 दिनांक-11.08.2016

बैंक तथा वित्तीय संस्थानों के बकाए ऋणों की वसूली अधिनियम, 1993 के साथ पठित आयकर अधिनियम, 1961 की द्वितीय अनुसूची के नियम 38, 52 (2) के अंतर्गत बिक्री उद्घोषणा
पीएनबी बनाम मिकुल एंटरप्राईजेज एवं अन्य

सेवा में:
सीडी नं. 1. मै. मिकुल एंटरप्राईजेज, द्वारा उसके प्रॉप्राईटर श्री सुमित जैन, डब्ल्यूजेड-932/2, बसई दारापुर, रमेश नगर के सामने, नई दिल्ली-110015
साथ ही: सी-163, मायापुरी औद्योगिक क्षेत्र, फेज-II, नई दिल्ली-110064
साथ ही: ए-13, मोहन गार्डन, उत्तम नगर, नई दिल्ली-110059
साथ ही: डब्ल्यूजेड-121, गली नं. 2, राम चौक, सिंध नगर, पालम कालोनी, नई दिल्ली-110044
साथ ही: एफ-73, रजौरी गार्डन, नई दिल्ली-110027
सीडी नं. 2. श्री सुमित जैन, पुत्र श्री अनिल जैन, मै. मिकुल एंटरप्राईजेज के एकाकी प्रॉप्राईटर, निवासी ए-13, मोहन गार्डन, उत्तम नगर, नई दिल्ली-110059
सीडी नं. 3. श्री अमित जैन, पुत्र श्री अनिल जैन, निवासी डब्ल्यूजेड-263-डी, शहीद चन्दर मार्ग, उत्तम नगर, नई दिल्ली-110059

जैसा कि, आप ओए के दाखिल करने की तिथि अर्थात 30.03.2010 से उसकी वसूली तक लागत, खर्चें तथा 12% प्रति वर्ष की दर से साधारण ब्याज तथा प्रमाणपत्र के अनुसार रु. 57000/- की लागतों के साथ पीठासीन अधिकारी, ऋण वसूली अधिकरण-III, दिल्ली द्वारा पारित ओ.ए.नं. 86/10 तिथि 30.03.2010 में तैयार की गई रिकवरी प्रमाणपत्र के अनुसार रु. 54,59,396/- (रुपए चौवन लाख उन्सठ हजार तीन सौ छियानवे मात्र) की राशि का भुगतान करने में विफल हो गए हैं जो आप पर बकाया हो गया है। तथा जैसा कि अधोहस्ताक्षरी ने उक्त प्रमाणपत्र की संतुष्टि के लिए नीचे अनुसूची में वर्णित संपत्ति की बिक्री का आदेश दिया है।

एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि स्थगन के किसी आदेश की अनुपस्थिति में 05.10.2016 को 11.00 बजे पूर्वा. में नीलामीकर्ता श्री नाथू राम, अधिवक्ता, मोबाईल नं. 9868317586 के माध्यम से संपत्ति के साईट पर उक्त सम्पत्ति की बिक्री की जाएगी। अधिक विवरणों के लिए सम्पर्क करें: श्री एस.के. जैन, मोबाईल नं. 9891914233, पीएनबी, एआरएमबी, राजेन्द्र प्लेस, नई दिल्ली-55 से संपर्क करें।

यह बिक्री नीचे तालिका में नामित उपरोक्त प्रतिवादियों की संपत्ति की होगी तथा उक्त संपत्ति से जुड़ी देयताएं एवं दावे, जो अब तक सुनिश्चित हैं, वे प्रत्येक लॉट के समक्ष अनुसूची में निर्दिष्ट हैं।

संपत्ति को अनुसूची में निर्दिष्ट लॉट में बिक्री पर रखा जाएगा। यदि वसूल की जाने वाली राशि संपत्ति के भाग की बिक्री से पूरी हो जाती है तो शेष के मामले में तुरंत बिक्री रोक दी जाएगी। यदि बिक्री संचालक अधिकारी के पास अनुसूची में वर्णित बकाए; ब्याज लागत (बिक्री लागत सहित) जमा कर दी जाती है अथवा उक्त प्रमाणपत्र की राशि, ब्याज एवं लागत अधोहस्ताक्षरी के पास जमा कर दिए होने का उनकी संतुष्टि के लिए प्रमाण जमा कर दिया जाता है तो किसी भी लॉट की नीलामी से पूर्व बिक्री तत्काल रोक दी जाएगी।

ऐसे किसी भी अधिकारी या अन्य व्यक्ति बिक्री के सिलसिले में कोई कर्त्तव्य निर्वहन का दायित्व हो, प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से, वे बेची जा रही संपत्ति को अर्जित करने के लिए बोली लगाने या कोई हित अर्जित करने के लिए प्रयास करने में अक्षम होंगे। यह बिक्री आयकर अधिनियम, 1961 की द्वितीय अनुसूची में निर्दिष्ट शर्तों तथा उसके अंतर्गत निर्मित नियमों तथा आगे की निम्नलिखित शर्तों के अधीन होगी।

संलग्न अनुसूची में निर्दिष्ट विवरण अधोहस्ताक्षरी की सर्वश्रेष्ठ जानकारी के अनुसार प्रस्तुत की गई है, लेकिन, इस उद्घोषणा में किसी गलती, त्रुटि अथवा खामी के लिए अधोहस्ताक्षरी उत्तरदायी नहीं होंगे।

1. आरक्षित मूल्य जिसके नीचे संपत्ति की बिक्री नहीं की जाएगी रु. 170.00 लाख है।
2. वह राशि जिसके द्वारा बोली बढ़ाई जाएगी रु. 4.00 लाख है। यदि बोली राशि अथवा बोलीदाता से संबंधित कोई विवाद उत्पन्न होता है तो लॉट को फिर से बिक्री पर लगाया जाएगा। यदि अपनी बोली बढ़ाने कोई बोलीदाता आगे नहीं आते हैं तो प्रथम प्राप्त ईएमडी को अधोहस्ताक्षरी के आगे विचार के लिए सुरक्षित रख लिया जाएगा।
3. उच्चतम बोलीदाता को किसी भी लॉट का क्रेता घोषित किया जाएगा। यदि प्रस्तावित मूल्य स्पष्ट रूप से अपर्याप्त होता है तथा ऐसा करना व्यवहारिक नहीं होता है तो अधोहस्ताक्षरी स्वेच्छा से उच्चतम बोली को स्वीकार/ अस्वीकार कर सकते हैं।
4. रु. 17.00 लाख की ईएमडी का भुगतान नीलामीकर्ता के पास रिकवरी अधिकारी-I, डीआरटी- III दिल्ली के पक्ष में देय **डीडी/ पे आर्डर** द्वारा किया जाएगा जिसके साथ पैन कार्ड की प्रति, निवास के प्रमाण तथा पहचान के प्रमाण, ई-मेल आईडी, मोबाईल नं. तथा कंपनी के मामले में कंपनी के बोर्ड के सदस्यों द्वारा पारित प्रस्ताव की प्रति अथवा कंपनी की प्रतिनिधित्व/ अटार्नी की पुष्टि करने वाले अन्य कोई दस्तावेज संलग्न की जाएगी।
5. सफल बोलीदाता को अगले बैंक कार्य दिवस के 3.00 **बजे अप.** तक इस अभिकरण में वर्णित विवरणों के अनुसार उक्त खाता में ईएमडी समायोजित करने के बाद अपनी अंतिम बोली राशि के 25% का भुगतान करना होगा।
6. क्रेता को संपत्ति की बिक्री की तिथि से 15वें दिन या उससे पूर्व तथा यदि 15वां दिन अवकाश या रविवार होता है तो 15वें दिन के बाद प्रथम बैंक कार्य दिवस में ऊपर पैरा 4 में वर्णित निर्धारित प्रक्रिया में अंतिम बोली राशि के शेष 75% का भुगतान करना होगा। उपरोक्त के अतिरिक्त क्रेता को रु. 1000/- तक 2% की दर से तथा रु. 1000/- की उक्त राशि के अधिक पर 1% की दर से **रजिस्ट्रार, डीआरटी-III,** दिल्ली के पक्ष में डीडी के माध्यम से **रिकवरी अधिकारी-I, डीआरटी-III,** दिल्ली के पास पाउंडेज शुल्क का भी भुगतान करना होगा। निर्धारित अवधि के भीतर भुगतान में चूक करने पर बिक्री की नई उद्घोषणा जारी करने के बाद संपत्ति की फिर से बिक्री की जाएगी। बिक्री के खर्चे को डेफ्रे करने के बाद यदि अधोहस्ताक्षरी उपयुक्त समझते है तो जमा की गई राशि सरकार के पक्ष में जब्त कर ली जाएगी तथा चूक करने वाले क्रेता उस संपत्ति अथवा उस राशि जिसके लिए बाद में उसकी बिक्री की जाएगी के प्रति अपने सभी दावे से वंचित हो जाएंगे। अधोहस्ताक्षरी की जानकारी में इस समय संपत्ति के विरुद्ध गणना की गई कोई राजस्व/ अधिभार या दावे का विवरण उपलब्ध नहीं है। संपत्ति की बिक्री **"जैसा है जहां है तथा जो भी वहां है"** आधार पर की जा रही है।

अधोहस्ताक्षरी को किसी या सभी बोली को स्वीकार करने अथवा अनुपयुक्त पाते हैं तो अस्वीकार करने अथवा बिना कोई कारण बताए किसी भी समय नीलामी को स्थगित करने का अधिकार प्राप्त है।

लाट नं.	सह. स्वामियों जहां जहां संपत्ति डिफॉल्टर तथा सह-स्वामी के रूप में किसी अन्य व्यक्ति का है के नाम के साथ बिक्री की जाने वाली संपत्ति का विवरण
1.	भूमि एवं भवन, सं. डब्ल्यूजेड-932/2, बसई दारापुर, सामने रमेश नगर/ राजकीय सर्वोदय कन्या विद्यालय, रमेश नगर मेट्रो स्टेशन के निकट, नई दिल्ली-110015, प्लाट एरिया माप 430 वर्ग याईस

मेरे हाथ से तथा मुहर लगाकर 11 अगस्त, 2016 को दी गई।

(एस.एस. चौहान)
रिकवरी अधिकारी-I, डीआरटी-III, दिल्ली

ARCOTECH LIMITED

CIN: L34300HR1981PLC012151,
181, Sector-3, Industrial Growth Centre, Bawal, Distt. Rewari, Haryana-123501 Website: www.arcotech.in,
email: contact@arcotech.in, Tel: 011-29523251

NOTICE

Notice is hereby given that the 35th Annual General Meeting (AGM) of the Company is scheduled to be held on Wednesday, 28th September, 2016 at 11.00 A.M. at the Registered Office of the Company at 181, Sector-3, Industrial Growth Centre, Bawal, Dist. Haryana-123501, to transact the business specified in the notice being send to members along with the Annual Report for the year ended 31st March, 2016. Dispatch to shareholders was completed on 02.09.2016.

Notice is further given that the Register of Members & Share Transfer Register shall be remain closed from 21st September, 2016 to 28th September, 2016 (both days inclusive) for the purpose of Annual General Meeting and Dividend, if declared. The Company is pleased to provide its Members with the facility to exercise their right to vote by electronic means and the business may be transacted through e-Voting Services provided by Central Depository Services Limited (CDSL). The e-voting period commences on 25th September, 2016 at 9:00 am and ends on 27th September, 2016 at 5:00 pm. The e-voting module shall be disabled for voting after 5:00 pm on 27th September, 2016. Once the vote on a resolution is cast by the shareholder, the shareholder shall not be allowed to change it subsequently.

The voting rights shall be as per the number of equity shares held by the member(s) as on, 21th September, 2016 (cut off date). Members are eligible to cast vote electronically only if they are holding shares as on that date.

By the Order of Board
For **Arcotech Limited.**
Sd/-
Krishan Kumar Mishra
Company Secretary

Date: 02 September, 2016
Place: New Delhi

SOUTHERN STAR HITECH DEVELOPMENT LIMITED

CIN U74999DL2008PLC182745
C-1, DDA Market, Mor Land, New Rajendra Nagar, New Dehli-110060.
Phone: 011-28741831, 28741832, E-mail: star.hitech@yahoo.in

NOTICE

Notice is hereby given that the 8th Annual General Meeting of the members of the Company will be held on Tuesday, the 27th day of September, 2016 at 3:00 pm at C-1, DDA Market, Mor Land, New Rajendra Nagar, New Dehli-110060 to transact the Ordinary and Special Business specified in the Notice dated 20th August, 2016. The Notice along with the Statement to be annexed to Notice pursuant to Section 102 of the Companies Act, 2013 has been sent to the Members individually, at their address registered with the Company by Electronic Mail/Courier, together with the Annual Report and accounts for the year ended 31st March 2016.

Notice is further hereby given, pursuant to section 91 of the Companies Act, 2013 that the Register of members and share Transfer Books of the Company will remain closed from the 24th day of September, 2016 to 29th day of September, 2016 (both days inclusive) for the said Annual General meeting.

By order of Board of Directors
for Southern Star Hitech Development Ltd.
Rakhi Rani
Company Secretary

New Delhi
Dated: 31st August, 2016

PEE CEE COSMA SOPE LTD.

CIN: L24241UP1986PLC008344
Regd Office:G-10/8, Padam Deep, Sanjay Place, Agra-282002, Uttar Pradesh Tel.No.0562-2527332
Fax.No.0562-2527329, e-mail: pccosmalisting@doctorsoap.com, Website:www.doctorsoap.com

NOTICE OF THE 29TH ANNUAL GENERAL MEETING BOOK CLOSURE AND E-VOTING INFORMATION

Notice is hereby given that the **29th Annual General Meeting (AGM)** of the Members of the Company will be held on Monday, 26th September, 2016 at 3:00 PM at **HOTEL ASHISH PALACE, FATEHABAD ROAD AGRA** to transact the business as mentioned in the notice convening the meeting.

The Notice of 29th AGM and Annual Report has been sent in electronic mode to the Members whose e-mail ids are registered with the Company or the Depository Participant unless the Members have registered their request for a hard copy of the same. Physical copies of the Notice of 29th AGM and Annual Report have been sent to all other members at their registered address in the permitted mode. The Notice of the 29th AGM and Annual Report are also available on the Company's website www.doctorsoap.com.

Remote E-voting Information: Pursuant to Section 108 of the Companies Act 2013 and Rule 20 of The Companies (Management and Administration) Rules, 2014 and Regulation 44 of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations 2015, the Company is pleased to provide e-voting facility to its Members enabling them to cast their vote for all the resolutions as set in the Annual General Meeting Notice dated 6th August 2016. The Notice of 29th AGM was already sent to members by 1st September, 2016. The Company has availed e-voting services as provided by National Securities Depository Limited (NSDL). Shri Debabrata Deb Nath, Company Secretary in whole-time Practice of M/s R & D Company Secretaries, Delhi, has been appointed as the Scrutinizer for conducting e-voting process in a fair and transparent manner. **The e-voting period commences on 23rd September, 2016 at 9:00 am and ends on 25th September, 2016 at 5:00 pm**. The e-voting module shall be disabled by NSDL, for voting thereafter. Once the vote on a resolution is cast by the Member, the Member shall not be allowed to change it subsequently. The voting rights of Members shall be as per the Number of Equity shares held by them as on the cut-off date which is 20th September 2016. Persons who have acquired shares and became members of the Company after the dispatch of the notice of AGM and holding shares as on the **Cut Off date of September 20, 2016**, may obtain their user ID and password for Remote E-voting from the Company's Registrar and Share Transfer Agent (RTA) or NSDL.

Further Members who do not have access to e-voting facility, may exercise their votes using Ballot Form available on the website of the Company at www.doctorsoap.com in the section Investor Relation so as to reach Scrutinizer at the Registered office of the Company not later than Sunday, 25th September, 2016 at 5:00 pm. The Ballot Form shall also be made available to the Members upon request made in written to the Company, Ballot form received after the aforesaid date & time will be consider as invalid. If a Member casts votes by both modes, then voting done through e-voting shall prevail and Ballot form shall consider as invalid.

At the venue of AGM, voting shall be done through ballot papers ("**Ballot Paper**") and the Members attending AGM who have not casted their vote by Remote E-voting/ballot Form shall be entitled to cast their vote through Ballot Paper. Member may participate in the AGM even after exercising his right to vote through Remote E-voting but shall not be allowed to vote again at the venue of the AGM. If a Member casts votes through Remote E-voting or Ballot Form and also at the AGM, then voting done through Remote E-voting shall prevail and voting done at the AGM shall be treated as invalid.

The Notice has been sent to all the Members, whose names appeared in the Register of Member/Record of the Depositories as on 26th August, 2016. For the process and manner of electronic voting, members may go through the instructions in the Notice of 29th AGM or visit NSDL website www.evoting.nsdl.com and in case of queries members may refer to or contact to Mr. Nitin Ambure, Vice President, National Securities Depository Limited, Trade World – A Wing, Kamala Mills Compound, Lower Parel, Mumbai - 400013, Tel No.022-24994587, email to evoting@nsdl.co.in.

Book Closure: Pursuant to the provision of section 91 of the Companies Act 2013 and rules made there under, and Regulation 42 of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations 2015, **the Register of Members and Share Transfer book of the Company will remain closed from Tuesday 20th September 2016 to Monday 26th September, 2016 (both days inclusive)** for the purpose of 29th Annual General Meeting to be held on Monday, 26th September, 2016.

The entry to the meeting venue will be regulated by Attendance Slips, Which have been sent along with Annual Report to the Members. Members are requested to submit a duly filled in Attendance Slip at the registration counter to attend the AGM.

The Notice of 29th AGM, 2016 is available on the website of the company www.doctorsoap.com

For & on behalf of the Board
PEE CEE COSMA SOPE LIMITED
ASHOK KUMAR JAIN
(Executive Chairman) DIN : 00113133

PLACE : AGRA
DATED : 02.09.2016

PRESSMAN PROPERTIES LIMITED

CIN: L45400WB1982PLC035249
Regd. office: Pressman House, 10A Lee Road, Kolkata 700 020
Tel No.: 033 40310810; Fax: 033 40310813
Email: pressmanpropertiesltd@gmail.com, Website: www.pressmanproperties.com

Corrigendum to the public announcement for the attention of the equity shareholders / beneficial owners of the equity shares of the company

This Corrigendum to the Public Announcement (**"PA"**) dated 30.08.2016 is being issued by Pressman Properties Limited (the **"Company"**) in connection with the Buyback of its fully paid-up equity shares of face value of Rs. 10/- each from the shareholders/beneficial owners of the Company through Tender Offer Process.

The shareholders/beneficial owners of the Company are requested to take note that the Record Date as mentioned under point no. 8 and all other applicable places of the PA shall be read as Friday, 23.09.2016 instead of Saturday 24.09.2016. All other information and terms of the Buyback disclosed in the PA remain unchanged.

MANAGER TO THE BUYBACK OFFER:

VC CORPORATE ADVISORS PRIVATE LIMITED
SEBI REGN NO: INM000011096
(Contact Person: Mr. Anup Kumar Sharma)
31, Ganesh Chandra Avenue, 2nd Floor, Suite No.–2C
Kolkata-700 013, Tel. No : (033) 2225-3940, Fax : (033) 2225-3941,
Email: mail@vccorporate.com, Website: www.vccorporate.com

DIRECTORS RESPONSIBILITY:

As per Regulation 19(1)(a) of the Buyback Regulations, the Board of Directors of the Company accept full and final responsibility for the information contained in this Corrigendum to Public Announcement. A copy of this Corrigendum to Public Announcement will be available on the SEBI's website **www.sebi.gov.in** during the period of the Buyback.

For and on behalf of the Board of Directors of M/s. Pressman Properties Limited

Sd/-	Sd/-	Sd/-
R L Sureka	Pramina Suchanti	Abhit Srivastav
Director	WholeTime Director	CFO & Compliance Officer

Place: Kolkata Date: 03.09.2016

पंजाब नैशनल बैंक punjab national bank

...भरोसे का प्रतीक ! ...the name you can BANK upon !

सामान्य सेवाएं प्रशासन प्रभाग, प्र.का. : 7, भीखाएजी कामा प्लेस, नई दिल्ली-110607

कार्यों हेतु संविदाकारों के पैनल के लिए पूर्व योग्यता

1. एक लाख से अधिक से लेकर पाँच लाख तक
2. पाँच लाख से अधिक से लेकर दस लाख तक

पंजाब नैशनल बैंक दिल्ली तथा राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में स्थित अपने भवनों के लिए निम्नलिखित विधाओं में सूचीबद्धता के लिए पात्र संविदाकारों से निर्धारित प्रारुप पर आवेदन आमंत्रित करता है।

1. सिविल कार्य, मरम्मत और रख-रखाव कार्य।
2. कार्यालय फर्नीचर की आपूर्ति।
3. इंटीरियर और सुसज्जा कार्य।
4. विद्युत कार्य।

पैनल में शामिल होने के लिए आवेदकों द्वारा पात्रता मानदंड पुरे किए जाने चाहिए। पात्रता, नियम एवं शर्तों के विवरण और आवेदन पत्र बैंक की वेबसाइट पर उपलब्धक है, जिन्हें http//pnbindia.in से डाउनलोड किया जा सकता हैं।

पैनल में शामिल होने हेतु इच्छुक पार्टियां अपने आवेदन अपेक्षित दस्तावेजों के साथ निर्धारित प्रारुप पर सभी प्रकार से पूर्ण कर मुख्य प्रबन्धक (जीएसएडी) पंजाब नैशनल बैंक, प्रधान कार्यालय, 7, भीखाएजी कामा प्लेस, नई दिल्ली - 110607 को दिनांक 26 सितम्बर अपराह्न 3 बजे तक भेजें।

इस पीक्यू नोटिस से सम्बंधित यदि कोई शुद्धिपत्र / परिशिष्ट होगा उसे केवल पंजाब नैशनल बैंक की वेबसाइट पर पोस्ट किया जाएगा।

मुख्य प्रबंधक